न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिलकुमार जैन

प्रकरण सख्याः—24 / 20 निर्णय दिनांकः—31.12.2020

1 श्री देवजी पिता कोदर जाति भील उम्र वयस्क निवासी मालाखोलडा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री मान तहसीलदार साहब महोदयजी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम व सपठित धारा 212 जाप्ता दीवानी

अधिवक्ता वादीः— कर्तव्य शाह उपस्थित

अधिवक्ता प्रतिवादीः—

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी गांव मालाखोलडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है। मेहनत मजदुरी व कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वादी के कब्जे काश्त की रिकॉर्डडेड खातेदारी आराजी ग्राम मालाखोलडा में खाता संख्या 211, खसरा नम्बर क्रमशः 204, 366, 369, 370, 371, 372, 393, 406, 407 खेत किता 9 कुल रकबा 4.9210 हैक्टेयर होकर स्थित है। वर्तमान में कब्जा मौके पर वादी का यथावत रूप से बना हुआ है। वादी ने अपने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर लोन लेने हेतु वादी ने खाते की जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी में वादी का नाम उदा पिता कोदर नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि उदा पिता कोदर नाम का कोई पुरूष नहीं है। जबकि वादी के पिता कोदर की मृत्यु के पश्चात कृषि भुमि के खोले गए नामान्तरण में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से वादी ने राजस्व कर्मचारी से मिलकर खोले गए नामान्तरणकरण की प्रति परत निकलवाई तो पता चला की नामांतरणकरण के समय के पूर्व ही सेटलमेंट के समय से ही राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवंश वादी का नाम अंकित नहीं कर उदा पिता कोदर नाम दर्ज कर दिया है। जबकि उदा पिता कोदर नाम का कोई पुरूष नहीं हैं। ऐसे में वादी ने राजस्व कर्मचारी से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन प्रतिवादी व राजस्व कर्मचारी ने अब तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिस पर राजस्व कर्मचारी से निवेदन कर रिकॉर्ड दूरस्त करने की बात की लेकिन रिकॉर्ड दूरस्त नहीं किया गया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया।

क्रमशः पेज 2 पर

प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैकि प्रतिवादी वादी को मात्र राजस्व कर्मचारीयों की गलती के आधार पर वादग्रस्त आराजी ग्राम मालाखोलडा में खाता संख्या 211, खसरा नम्बर कमशः 204, 366, 369, 370, 371, 372, 393, 406, 407 खेत किता 9 कुल रकबा 4.9210 हैक्टेयर से बेदखल न करे। राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर हाल जमाबंदी में जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम मालाखोलडा में खाता संख्या 211, खसरा नम्बर कमशः 204, 366, 369, 370, 371, 372, 393, 406, 407 खेत किता 9 कुल रकबा 4.9210 हैक्टेयर में वादी का नाम दर्ज कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर उक्त दाद चाही है। जिसके बाद वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। जिस पर दिनांक 3.11.2020 को प्रतिवादी तहसीलदार से पटवारी मालाखोलडा को जांच रिपोर्ट भिजवाने पत्र भेजा गया। जिसमें वादी के नाम के स्थान पर गलती से उदा पिता कोदर दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जावे। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में पेशी दिनांक 03.11.2020 को भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी तहसीलदार का जवाब बंद कर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया उक्त वादग्रस्त भुमि वादी के कब्जे काश्त की रिकॉर्डडेड खातेदारी आराजी ग्राम मालाखोलडा में खाता संख्या 211, खसरा नम्बर कमशः 204, 366, 369, 370, 371, 372, 393, 406, 407 खेत किता 9 कुल रकबा 4.9210 हैक्टेयर होकर स्थित है। वर्तमान में कब्जा मौके पर वादी का यथावत रूप से बना हुआ है। वादी ने अपने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर लोन लेने हेतु वादी ने खाते की जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी में वादी पिता कोदर की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण में उदा पिता कोदर नाम दर्ज कर दिया गया है। जबकि उदा पिता कोदर नाम का कोई पुरूष नहीं है। ऐसे में राजस्व रिकार्ड में वादी देवजी पिता कोदर का नाम दर्ज कर संशोधित किया जावे। ऐसे वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे। हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति व सेटलमेंट नकल व पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें वादी के कब्जे काश्त की रिकॉर्डडेड खातेदारी आराजी ग्राम मालाखोलडा में खाता संख्या 211, खसरा नम्बर कमशः 204, 366, 369, 370, 371, 372, 393, 406, 407 खेत किता 9 कुल रकबा 4.9210 हैक्टेयर में वादी का नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा उदा पिता कोदर नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में वादी देवजी पिता कोदर का नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझता है।

कमशः पेज 3 पर

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मालाखोलडा में खाता संख्या 211, खसरा नम्बर कमशः 204, 366, 369, 370, 371, 372, 393, 406, 407 खेत किता 9 कुल रकबा 4.9210 हैक्टेयर होकर स्थित है। वादी के पिता कोदर की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण में उदा पिता कोदर नाम गलत दर्ज किया गया है। वादी देवजी पिता कोदर का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कर वादी देवजी पिता कोदर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा